

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/542/2024, लखनऊ :: दिनांक मई 21, 2024  
--: संशोधित आदेश ::-

न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ पीठ प्रथम लखनऊ ने माननीय उच्च न्यायालय पोर्टल पर दिनांक 27.05.2024 से दिनांक 07.06.2024 तक उपार्जित अवकाश पर रहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है जिस कारण दिनांक 27.05.2024 से 30.05.2024 तक लखनऊ जनपद में गठित युगल पीठ में सम्मिलित होना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 360/2024 दिनांक 28.03.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद लखनऊ में पूर्व गठित खण्ड पीठ दिनांकित 27.05.2024 से 30.05.2024 तक न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, लखनऊ के स्थान पर मैं स्वयं सम्मिलित होऊंगा। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/- 21.05.2024

(रणधीर सिंह)

एव0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ - 1, 2 एवं 3 लखनऊ।
  - 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
  - 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।